

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग

मध्यप्रदेश

क्र./शिक्षा स्था.4/841/2022/ 228/6

भोपाल, दिनांक 16/11/2022

विज्ञप्ति

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु विभाग द्वारा दिनांक 19/10/2022 को प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है। नियोजन की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त काउंसलिंग के द्वारा Mp Online के माध्यम से की जावेगी। कार्यवाही प्रचलन में है।

विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर एवं इंदौर में केवीएट दायर करने कार्यवाही प्रचलित है। अतः उपरोक्तानुसार सूचना लोकहित में प्रकाशित की जाती है।

(संजीव सिंह)

आयुक्त

जनजातीय कार्य,
मध्यप्रदेश